

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2025—माघ 11, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2025

क्र. ई-5-1136-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर का दिनांक 2 जनवरी से 30 जून 2025 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री वीरसिंह चौहान, राप्रसे (2008), अपर कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2025

क्र. ई-5-764-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) के

दिनांक 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पाँच दिन के एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अमित राठौर, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर, भाप्रसे को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2025

क्र. एफ 1(ए) 127-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री तरुण नायक, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2025 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 व 18-19 जनवरी 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री तरुण नायक, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री प्रणय नागवंशी, पुलिस अधीक्षक (एटीएस/सी.आई.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण नायक, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री तरुण नायक, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री तरुण नायक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण नायक, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्र. एफ 2452146-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे, पुलिस अधीक्षक (रेल्वे), जबलपुर को दिनांक 4 से 22 दिसम्बर 2024 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में U.K. की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, (रेल्वे), जबलपुर का कार्य प्रभार श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एवं क्राईम जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक (रेल्वे), जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1 (ए) 20-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15 नवम्बर 2024 द्वारा श्री प्रशांत खरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम रेन्ज, नर्मदापुरम का दिनांक 18 से 22 नवम्बर 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए) 29-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को संशोधित करते हुए, श्री रियाज इकबाल, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-03, नगरीय पुलिस, जिला भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 20 से 28 मई 2024 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 मई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत सोनमर्ग, पहलगौव, गुलमर्ग जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|-------------------------|---|--------|
| 1. श्री रियाज इकबाल | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती दिव्या मोहन | — | पत्नी |
| 3. कु. दिव्या डी. रियाज | — | पुत्री |
| 4. कु. मिशा रियाज | — | पुत्री |

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. एफ 1 (ए) 39-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री आलोक कुमार सिंह, भापुसे, सेनानी, 18वीं वाहिनी विसबल, शिवपुरी को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 से 30 नवम्बर 2024 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश में गृह नगर यात्रा अंतर्गत पटना (बिहार) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1. श्री आलोक कुमार सिंह | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती अनिता सिंह | — | पत्नी |

(2) श्री आलोक कुमार सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में सेनानी, 18वीं वाहिनी विसबल, शिवपुरी का चालू कार्य श्री मनोज वर्मा, उप सेनानी, 18वीं वाहिनी, विसबल, शिवपुरी द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 18वीं वाहिनी विसबल, शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आलोक कुमार सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक कुमार सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक कुमार सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए) 156-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2024 को संशोधित करते हुए, श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 व 24 दिसम्बर 2024 तक, दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 21-22 व 25 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत मदिकेरी (कुर्ग) कर्नाटक जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

- | | | |
|------------------------------|---|-------|
| 1. श्री पवन कुमार श्रीवास्तव | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती भावना श्रीवास्तव | — | पत्नी |
| 3. श्री कान्हा श्रीवास्तव | — | पुत्र |
| 4. श्री श्रेयस श्रीवास्तव | — | पुत्र |

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

क्र. एफ 1 (ए) 195-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री विजय कटारिया, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 28 से 31 जनवरी 2025 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 1-2 फरवरी 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत सिक्किम और दार्जिलिंग जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों, के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1. श्री विजय कटारिया | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती संगीता कटारिया | — | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नु भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2025

पंजी क्र. 235-2025-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री रवि चौकसे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मण्डला को उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु उनकी सेवाएं कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीडित, भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

पंजी क्र. 237-2025-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती निहारिका सिंह, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैतूल की सेवाएं औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ भोपाल में सदस्य न्यायिक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, श्रम विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2025

पंजी क्र. 208-2025-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील टिमरनी, जिला हरदा में विभागीय आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री धन्नालाल मालाकार का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 209-2025-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 1996 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री चंद्रकांत देशमुख का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 213-2025-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, इन्दौर में विभागीय आदेश दिनांक 7 मई 1986 द्वारा नियुक्त नोटरी श्रीमती सुधारानी गुप्ता एवं विभागीय आदेश दिनांक 7 जून 1989 द्वारा नियुक्त नोटरी मोहम्मद नबी खान, विभागीय आदेश

दिनांक 21 अप्रैल 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री रणवीर हक्सर, विभागीय आदेश दिनांक 28 जून 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री शिवराम सिलोटिया तथा विभागीय आदेश दिनांक 7 फरवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्रीमती आशा पुरोहित, विभागीय आदेश दिनांक 18 अप्रैल 1978 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री बजरंग प्रसाद मिश्रा एवं विभागीय आदेश दिनांक 18 फरवरी 2020 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री विवेक बंसोड, विभागीय आदेश दिनांक 18 जुलाई 1999 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री कैलाशचंद्र पाराशर एवं विभागीय आदेश दिनांक 7 फरवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री हेमराज सिलावट तथा चंद्रशेखर नाईक, विभागीय आदेश दिनांक 5 फरवरी 2002 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री बाबूलाल मालवीय का निधन होने के कारण उक्त नोटरीगणों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अपर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2025

क्र. एफ-13-21-2021-तेरह.—यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभा, मध्यप्रदेश शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-13-2021-ए-ग्यारह, दिनांक 14 फरवरी, 2022 के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर, जिला धार में मेसर्स एसआरएफ (पैकेजिंग फिल्म व्यवसाय) की नवीन इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की है;

2. और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि नवीन इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन 25 अगस्त, 2022 को प्रारंभ हो गया है और इकाई, दिनांक 25 अगस्त, 2022 से 24 अगस्त, 2032 (10 वर्ष) की अवधि के लिये 33 के. व्ही. के विद्युत संयोजन पर 5500 के.व्ही.ए. की सीमा तक, विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;

3. और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2023 के माध्यम से यह भी सूचित किया है, कि वर्तमान में 132 के. व्ही. लाईन का निर्माण प्रक्रियाधीन है. भविष्य में उच्चदाब (हाईटेंशन) लाईन चालू होने के बाद 132 के. व्ही. पर 5500 के. व्ही. ए. तक सीमित भार के लिए विद्युत शुल्क छूट के लिए पात्रता को पुनरीक्षित किया जाएगा;

4. और यतः, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर ने अपने पत्र दिनांक 24 जुलाई, 2024 के माध्यम

से सूचित किया है, कि औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार में मेसर्स एस. आर. एफ. लिमिटेड (पैकेजिंग फिल्म व्यवसाय) के संयोजन क्रमांक एच 3421000638 के 33 के. व्ही. आपूर्ति वोल्टेज को 28 मार्च, 2024 से 132 के. व्ही. में परिवर्तित कर दिया गया है;

5. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2023) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-21-2021-तेरह, दिनांक 14 सितम्बर, 2023 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक, दिनांक 22 सितम्बर, 2023 में प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर, जिला धार में मेसर्स एस. आर. एफ. लिमिटेड (पैकेजिंग फिल्म व्यवसाय) की नवीन इकाई को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 132 के. व्ही. विद्युत संयोजन को बेची या आपूर्ति की गई विद्युत पर, विद्युत शुल्क के संदाय से दिनांक 28 मार्च, 2024 से 24 अगस्त, 2032 तक छूट प्रदान करती है:

परंतु, विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट उनके 132 के व्ही. उच्च दाब संयोजन को केवल 5500 के.व्ही.ए. विद्युत भार की सीमा तक ही उपलब्ध होगी.

6. यह अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 24 अगस्त, 2032 तक अस्तित्व में रहेगी.

No.F-13-21-2021-XIII.—WHEREAS, the Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh vide its order No. F-16-13-2021-A-XI, dated 14th February, 2022 has granted exemption from Electricity Duty along with various facilities to the new unit of M/s SRF Limited (Packaging Film Business) in Industrial Area, Pithampur, District Dhar for a period of 10 years with effect from the date of commercial production;

2. AND, WHEREAS, the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2nd August, 2023 has intimated that commercial production from the new unit has been started on 25th August, 2022 and the unit is eligible to get electricity duty exemption benefit for the period from 25th August, 2022 to 24th August, 2032 (10 years) on electrical load limited to 5500 KVA on 33 KV electrical connection;

3. AND, WHEREAS, the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2nd August, 2023 has also intimated that at present the construction of 132 KV line is under process. The eligibility for electricity duty exemption shall be revised to load limited to 5500 KVA on 132 KV after commissioning of high tension line in future;

4. AND, WHEREAS, the Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Indore vide its letter dated 24th July, 2024 has intimated that the 33 KV supply voltage of connection No. H 3421000638 of M/s SRF Limited (Packaging Film Business) in Industrial Area, Pithampur, District Dhar has been converted to 132 KV from 28th March, 2024;

5. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012) and in supersession of this deptment's Notification No. F-13-21-2021-XIII dated 14th September, 2023, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 22nd September, 2023, the State Government, hereby, exempts new unit of M/s SRF Limited (Packaging Film Business) in Industrial Area, Pithampur, District Dhar from payment of Electricity Duty on the Electricity sold or supplied by Distirbution Licensee to 132 KV electricity connection with effect from 28th March, 2024 to 24th August, 2032:

Provided that such exemption from payment of Electricity Duty shall be available only to the extent of 5500 KVA electrical load to their 132 KV high tension connection.

6. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 28th March, 2024 and shall exist till 24th August, 2032.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. गौड़, विशेष कतर्ब्यस्थ अधिकारी.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2025

क्र. 107-2526839-2025-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सतना	सतना	सुश्री सोनम शर्मा, JMFC
2	बालाघाट	बालाघाट	श्रीमती शिखा शर्मा, JMFC

No. 107-2526839-2025-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in Column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the Column (2) of the Schedule below for the District as specified in Column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Satna	Satna	Sushri. Sonam Sharma, JMFC
2	Balaghat	Balaghat	Smt. Shikha Sharma, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. 5-24-2008-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 35) की धारा 101 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) एवं (ब) के साथ पठित धारा 29 और 43 के तहत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के प्रावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP No. 25612-2023 में पारित आदेश दिनांक 7 मार्च 2024 अनुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता यादव को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 4 वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक के लिए मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. एफ. 5-24-2008-उन्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी, 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

Bhopal, the 28th January 2025

No. 5-24-2008-XXIX-2.—In accordance with the provisions of the Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020 framed under Sections 29 and 43 read with Clauses (n) and (w) of Sub-section (2) of Section 101 of the Consumer Protection Act 2019 (No. 35 of 2019) and the order dated 7th March, 2024 passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 25612-2023, the State Government hereby appoints Hon'ble Justice Smt. Sunita Yadav as the President of the Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission for a term of 4 years from the date of his assuming charge or till the age of 67, whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RANJANA PATNE, Dy. Secy.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2025

क्र. एफ.-6-0007-2024-सात-शा.-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, सतना जिले के अनुविभाग मझगवां की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन अनुविभाग चित्रकूट को सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है।

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व अग्रेषित किए जा सकेंगे:—

अनुसूची

अनु. क्र.	विद्यमान तहसील का नाम और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले या उपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील का नाम और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील का नाम और उसका मुख्यालय	परिवर्तनों के पश्चात् तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अनुविभाग मझगवां (मुख्यालय मझगवां)	वर्तमान तहसील मझगवां के रा. नि. वृत्त 01 चित्रकूट के पटवारी हल्के कुल 09 एवं रा. नि. मण्डल बरौंधा के पटवारी हल्के कुल 25 इस प्रकार कुल पटवारी हल्के 34 अपवर्जित होंगे।	अनुविभाग मझगवां (मुख्यालय मझगवां)	अनुविभाग मझगवां में तहसील मझगवां के कुल 21 पटवारी हल्का नंबर तथा तहसील बिरसिंहपुर के 48 पटवारी हल्के कुल 69 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	उत्तर— उत्तर प्रदेश राज्य एवं प्रस्तावित तहसील चित्रकूट. दक्षिण—तहसील रघुराजनगर एवं तहसील कोटर, रामपुर बाघेलान. पूर्व—उत्तर प्रदेश राज्य एवं तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म. प्र.). पश्चिम—तहसील पन्ना, जिला पन्ना एवं तहसील नागौद, जिला सतना.
2.	अनुविभाग चित्रकूट (मुख्यालय चित्रकूट)	वर्तमान तहसील मझगवां के रा. नि. वृत्त 01 चित्रकूट के पटवारी हल्के कुल 09 एवं रा. नि. मण्डल बरौंधा के पटवारी हल्के कुल 25 इस प्रकार कुल पटवारी हल्के 34 समाविष्ट होंगे।	उत्तर— उत्तर प्रदेश राज्य. दक्षिण—तहसील मझगवां, जिला सतना (म. प्र.) तहसील पन्ना, जिला पन्ना. पूर्व—उत्तर प्रदेश राज्य एवं तहसील मझगवां, जिला सतना (म. प्र.). पश्चिम—उत्तर प्रदेश एवं तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म. प्र.).

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2024

प्र. क्र. 0051-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि एम सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	भितरियां	91.7890	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर.	अवनी परिधि मांनिग एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. हैवलॉक रोड लखनऊ (उ. प्र.) पिन-226001 (एम सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना).

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0052-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि एम सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	भड़ार	48.975	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर.	अवनी परिधि मांनिग एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. हैवलॉक रोड लखनऊ (उ. प्र.) पिन-226001 (एम सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना)

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पार्थ जैसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प.क्र.-354-भू-अर्जन-2024

सिंगरौली, दिनांक 15 मार्च 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रातकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावाधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रातकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु।
 (2) भूमि का वर्णन -
 (क) जिला :- सिंगरौली
 (ख) तहसील :- देवसर
 (ग) ग्राम :- कुर्सा
 (घ) पटवारी हल्का :- देवसर
 (ङ) लगभग क्षेत्रफल :- निजी रकवा 4.053 हे.

क्रमांक	नाम	खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल (हे.में.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	बुध्दसेन पिता बानू बैगा 1/5 रामलाल पिता बानू बैगा 1/5 हीरालाल पिता बानू बैगा 1/5 देवलाल पिता बानू बैगा 1/5 प्रेमलाल पिता बानू बैगा 1/5	2035	2.000	1.410	निजी भूमि
2	शाश्वत पुत्र प्रियंका द्विवेदी संरक्षक प्रियंका द्विवेदी पिता गिरीश प्रसाद द्विवेदी	2038/2	0.010	0.010	निजी भूमि
3	सुनीता पति कमलेश साहू 1/3 दीपक कुमार पिता कमलेश नाबा0संर0 सुनीता साहू 1/3 आशीष कुमार पिता कमलेश नाबा0संर0 सुनीता साहू 1/3	2038/5	0.084	0.008	निजी भूमि

4	विनोद कुमार पिता कैलाश साहू	2038/6	0.004	0.004	निजी भूमि
5	संतोष पिता कैलाश साहू	2038/7	0.004	0.004	निजी भूमि
6	अंजली सिंह नाबालिक पुत्री राजपती सिंह संरक्षक राजपती पिता रामधारी सिंह	2038/10	0.020	0.004	निजी भूमि
7	प्रशांत पिता चन्द्रमौली पाण्डेय	2038/12	0.010	0.010	निजी भूमि
8	कमलेश पिता देवराज साहू	2038/14	0.028	0.004	निजी भूमि
9	संजय पिता राजेन्द्र साहू	2038/18	0.028	0.006	निजी भूमि
10	दिवाकर पिता राजेन्द्र साहू	2038/21	0.028	0.005	निजी भूमि
11	मानसिंह पिता लंघई सिंह गोंड़	2042/1/1	0.484	0.010	निजी भूमि
12	सुमनलता पति भागचन्द्र	2044/1/2/2	0.012	0.002	निजी भूमि
13	छोटेला पिता मनबहोर प्रजापति	2045/1/1/1	0.020	0.010	निजी भूमि
14	पतिराज पिता जग्यलाल साहू	2045/1/1/2	0.008	0.008	निजी भूमि
15	हितेश कुमार पिता सुमनलता	2045/1/2	0.020	0.020	निजी भूमि
16	राजनारायण पिता रामनरेश शर्मा	2045/2	0.012	0.012	निजी भूमि
17	ब्रम्हानंद पिता छोटेला प्रजापति	2045/3/1/1/1	0.028	0.012	निजी भूमि
18	रंगलाल पिता दलवीर साहू 1/2 सरोज पति रंगलाल साहू 1/2	2045/3/1/1/2	0.020	0.020	निजी भूमि
19	सीमा पति सीताराम साहू 1/2 अनुपमा पिता सीताराम साहू 1/2	2045/3/1/2	0.020	0.020	निजी भूमि
20	हरिगोविंद प्रसाद पिता रुद्रदत्त पाठक 1/2 सत्यप्रभा पति हरिगोविन्द प्रसाद पाठक	2045/3/2	0.012	0.012	निजी भूमि
21	शिवानंद पिता छोटेला कुम्हार	2045/9/1	0.010	0.010	निजी भूमि
22	दिव्यांशु पिता हरिगोविंद पाठक	2045/9/2	0.010	0.010	निजी भूमि
23	चन्द्रमा पति शिवानंद प्रजापति	2045/11	0.016	0.016	निजी भूमि
24	विकास पिता शिवानंद प्रजापति	2045/12	0.020	0.020	निजी भूमि
25	पुष्पेंद्र पिता शिवानंद प्रजापति	2045/13	0.020	0.020	निजी भूमि
26	तारा सिंह पति रामखेलावन सिंह	2045/14	0.004	0.004	निजी भूमि
27	लल्लू सिंह पिता शिवमोहर सिंह	2045/15	0.004	0.004	निजी भूमि
28	शिवप्रसाद पिता छोटेला कुम्हार	2045/19/1/1/1	0.024	0.024	निजी भूमि
29	शिवेंद्र कुमार पिता कमलभान साहू	2045/19/1/1/2	0.006	0.006	निजी भूमि
30	शिवम कुमार पिता श्यामलाल साहू	2045/19/1/2	0.004	0.004	निजी भूमि

31	शशी प्रकाश पिता रामनाथ साहू	2045/19/2	0.006	0.006	निजी भूमि
32	अनूपराज पिता अमरेश मजूमदार	2045/22	0.008	0.008	निजी भूमि
33	अनीता पति शिवप्रसाद प्रजापति प्रशांत कुमार पिता शिवप्रसाद प्रजापति नावा0संर0 माता अनीता पति शिवप्रसाद प्रजापति	2045/23/1	0.036	0.020	निजी भूमि
34	अरुण कुमार पिता भगवानदास पटवा	2045/23/2	0.004	0.004	निजी भूमि
35	अरशद कुरैशी पिता सफीउल्ला नावा0संर0 सफीउल्ला पिता कुदरत अली 352/3200 शिवकुमार पिता छोटेलाल प्रजापति 2144/3200 सहनबाज कुरैशी पिता सफीउल्ला नावा0संर0 सफीउल्ला पिता कुदरतअली 352/3200 शाहिद कुरैसी पिता सफीउल्ला 352/3200	2045/25/1/1/1/1/1/1/1/1/1	0.032	0.032	निजी भूमि
36	हीरामणि पिता दलवीर साहू	2045/25/1/1/1/1/1/1/1/2	0.010	0.010	निजी भूमि
37	विरेंद कुमार पिता दिवाकर प्रसाद वर्मा	2045/25/1/1/1/1/1/1/1/2	0.010	0.010	निजी भूमि
38	राजेंद्र प्रसाद पिता शिवकुमार साहू	2045/25/1/1/1/1/1/1/2	0.010	0.010	निजी भूमि
39	राममणि पिता रामऔतार साहू	2045/25/1/1/1/1/1/2	0.010	0.010	निजी भूमि
40	गुमम पिता राजेन्द्र प्रसाद पाटकर	2045/25/1/1/1/1/2	0.004	0.004	निजी भूमि
41	पवन कुमार पिता भगवानदास पटवा	2045/25/1/1/1/2	0.004	0.004	निजी भूमि
42	रोशनी पिता भगवानदास पटवा	2045/25/1/1/2	0.004	0.004	निजी भूमि
43	मुकेश पिता अशोक कुमार पाटकर	2045/25/1/2	0.004	0.004	निजी भूमि
44	अरशद कुरैशी पिता सफीउल्ला नावा0संर0 सफीउल्ला पिता कुदरत अली 352/3200 शिवकुमार पिता छोटेलाल प्रजापति 2144/3200 सहनबाज कुरैशी पिता सफीउल्ला नावा0संर0 सफीउल्ला पिता कुदरतअली 352/3200 शाहिद कुरैसी पिता सफीउल्ला 352/3200	2045/25/2	0.012	0.012	निजी भूमि
45	हिन्डलाल पिता रामलखन सूरज कुमार प्रियंका आशा पिता हिन्डलाल नावा0संर0 पिता हिन्डलाल पिता रामलखन तेली	2046/2	0.040	0.006	निजी भूमि

46	रामसुभग पिता जंगपति प्रजापति 143/560 रीता देवी पति राजबलराम 51/560 शोभनाथ पिता छोटा साहू 52/560 गेंदउआ पति शोभनाथ साहू 42/560 वीरेंद्र पिता शोभनाथ साहू 43/560 दानिश पिता जर्जर खान 69/560 रामकृपाल पिता रामलखन विश्वकर्मा 34/560 सुखेंद्र पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला 86/560 रामानंद पिता आशुतोष शुक्ला 40/560	2047/1/2	0.004	0.004	निजी भूमि
47	विवेक पिता दिवाकर प्रताप सिंह 1/2 विनय सिंह पिता दिवाकर प्रताप सिंह 1/2	2047/2	0.004	0.004	निजी भूमि
48	रामसुभग पिता जंगपति प्रजापति 26/70 रीता देवी पति राजबलराम 6/70 शोभनाथ पिता छोटा साहू 6/70 गेंदउआ पति शोभनाथ साहू 5/70 वीरेंद्र पिता शोभनाथ साहू 5/70 दानिश पिता जर्जर खान 8/70 रामकृपाल पिता रामलखन विश्वकर्मा 4/70 सुखेंद्र पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला 10/70	2047/3	0.010	0.010	निजी भूमि
49	शिवप्रसाद पिता श्यामलाल प्रजापति	2047/4	0.008	0.008	निजी भूमि
50	राजेश कुमार पिता बलजीत रावत 1/3 संजय कुमार पिता मुक्तिनाथ पाठक 1/3 प्रशांत पिता प्रदीप कुमार पाठक 1/3	2047/5	0.012	0.012	निजी भूमि
51	बृजमोहन पिता रामसुभग प्रजापति	2047/6/1/1/1	0.006	0.006	निजी भूमि
52	मुमताज पिता रसीद मोहम्मद	2047/6/1/1/2	0.002	0.002	निजी भूमि
53	मोहम्मद समीर पिता रज्जाक मोहम्मद	2047/6/1/2	0.002	0.002	निजी भूमि
54	रमेश कुमार पिता बेनीमाधव	2047/6/2	0.008	0.008	निजी भूमि
55	मनमोहन पिता रामसुभग प्रजापति 10/30 मुन्नीदेवी पति भगवानदास साहू 4/30 ऐतबरिया पति भगवानदास साहू 4/30 शिवासु पिता सुन्दर साहू 8/30 राजेश कुमार पिता छोटकउ प्रजापति 4/30	2047/9/2	0.004	0.004	निजी भूमि
56	बालकदास पिता रामसुभग प्रजापति 5/12 श्यामलाल पिता जगपति साहू 1/4 शाहिल पिता खालिद खान 1/6 साकिम पिता तालिब खान 1/6	2047/10/1	0.018	0.018	निजी भूमि
57	बालकदास पिता रामसुभग प्रजापति 5/12 श्यामलाल पिता जगपति साहू 1/4 शाहिल पिता खालिद खान 1/6 साकिम पिता तालिब खान 1/6	2047/10/2	0.006	0.006	निजी भूमि

58	सज्जन पिता लल्लू साहू	2047/11	0.006	0.006	निजी भूमि
59	संतोष कुमार पिता कैलाश साहू 1/2 विनोद कुमार पिता कैलाश साहू 2/5	2047/13	0.020	0.020	निजी भूमि
60	अतुलेश पिता रामसुभग 1/3 संदीप कुमार पिता राजमणि साहू 1/10 आकाश कुमार पिता राजमणि साहू 1/10 अनिल कुमार पिता संतोष साहू 2/15 मोतीलाल पिता जग्यसेन साहू 1/6 कुसुमकली पति रंगलाल साहू 1/6	2047/14	0.030	0.030	निजी भूमि
61	रामसुभग पिता जंगपति प्रजापति 143/560 रीता देवी पति राजबलराम 51/560 शोभनाथ पिता छोटा साहू 52/560 गेंदउआ पति शोभनाथ साहू 42/560 वीरेंद्र पिता शोभनाथ साहू 43/560 दानिश पिता जर्जर खान 69/560 रामकृपाल पिता रामलखन विश्वकर्मा 34/560 सुखेंद्र पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला 86/560 रामानंद पिता आशुतोष शुक्ला 40/560	2313/1/1/1/1 /1/1/1	0.044	0.040	निजी भूमि
62	मनमोहन पिता रामसुभग प्रजापति 10/30 मुन्नीदेवी पति भगवानदास साहू 4/30 ऐतबरिया पति भगवानदास साहू 4/30 शिवासु पिता सुन्दर साहू 8/30 राजेश कुमार पिता छोटकउ प्रजापति 4/30	2313/3/1/1/1	0.019	0.010	निजी भूमि
63	अनिल कुमार पिता जयनाथ प्रजापति	2048/4	0.400	0.060	निजी भूमि
64	मानसिंह पिता लंघई सिंह गोंड	2053/1/1/1/1	0.405	0.380	निजी भूमि
65	राजेश कुमार पिता बलजीत रावत 1/2 मनोज कुमार पिता बलजीत रावत 1/2	2053/1/1/1/2	0.010	0.010	निजी भूमि
66	राजेश कुमार पिता बलजीत रावत 1/2 मनोज कुमार पिता बलजीत रावत 1/2	2053/1/1/2	0.030	0.030	निजी भूमि
67	सुदरसन सिंह पिता मान सिंह गोंड	2053/1/2	0.010	0.010	निजी भूमि
68	नौरंग सिंह पिता मान सिंह गोंड	2053/1/3	0.010	0.010	निजी भूमि
69	पार्वती सिंह पिता मान सिंह गोंड	2053/1/4	0.010	0.010	निजी भूमि
70	बिट्टन सिंह पिता मान सिंह गोंड	2053/1/5	0.010	0.010	निजी भूमि
71	कुमान सिंह पिता लंघई सिंह	2053/2	0.485	0.470	निजी भूमि
72	शेषमणि पिता कामता सिंह	2054	1.710	1.000	निजी भूमि
73	तिलकधारी पिता कामता सिंह	2056	1.710	0.020	निजी भूमि
निजी पट्टे की भूमि का योग:-			8.157	4.053	

चूँकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अन्तर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर-सिंगरौली नई रेलवे लाइन परियोजना का ही भाग है। अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों / विस्थापितों को देय है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. •

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र.-0001-अ-19-(4)-2024-25

नर्मदापुरम, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2)(3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11(3)(ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

--अनुसूची--

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला	:- नर्मदापुरम
(ख) तहसील	:- पिपरिया
(ग) ग्राम	:- खामखेड़ी
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर	:- पगारा, 53
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 15.560 हे.

क्र.	ख.न.	अर्जन हेतु रकबा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	1/6	1.870		
2	1/2	1.084		
3	1/17	0.275		
4	1/13	0.202		
5	1/24	0.607		
6	1/14	0.537		
7	1/7	मं.से. 0.453		
8	1/12	मं.से. 0.108		
9	1/5	2.306		
10	1/15	1.036		
11	1/18	1.619		
12	1/19	0.809		
13	1/20	1.214		
14	1/21	0.203		
15	1/22	0.809		
16	1/23	0.809		
17	1/25	1.619		

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संघारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्र.क्र.-2-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2)(3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11(3)(ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-:अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला	:-	नर्मदापुरम
(ख) तहसील	:-	पिपरिया
(ग) ग्राम	:-	मुआर
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर	:-	सींगानामा,52
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	11.584.hec-

क्र.	ख.न.	अर्जन हेतु रकबा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
स.क्र.	खसरांनंबर	रकबा	नायब तहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
1	32	0.121		
2	37/4	0.729		
3	39	0.910		
4	37/3	मे से 0.777		
5	15	मे से 0.247		
6	9/2.	मे से 0.890		
7	20/1.	मे से 0.104		
8	29	0.344		
9	31	0.462		
10	34	1.21		
11	37/5	0.914		
12	38	1.404		
13	43/6	1.376		
14	37/2	1.651		
15	41	0.445		

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्र.क्र.-3-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपर्युक्त भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2)(3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11(3)(ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-:अनुसूची:-

- (1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला :- नर्मदापुरम
- (ख) तहसील :- पिपरिया
- (ग) ग्राम :- घोघरी
- (घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर :- सींगानामा, 52
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- 31.740 हे.

क्र.	ख.न.	अर्जन हेतु रकबा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	41/1	1.724	नायबतहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमडी	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
2	8/2	0.106		
3	38/2	1.422		
4	3	0.845		
5	7	0.486		
6	40/2	0.081		
7	14	0.401		
8	15	0.263		
9	16	0.267		
10	22	0.336		
11	34/2	1.765		
12	9	0.611		
13	4	0.101		
14	5	0.344		
15	41/2/3	1.862		
16	41/2/4	1.902		
17	41/7	2.023		
18	41/2/1	2.023		
19	41/2/5	4.695		
20	41/11	3.844		
21	17	मं.से. 0.070		
22	20	मं.से. 0.054		
23	21	मं.से. 0.216		
24	35	मं.से. 3.407		
25	36	मं.से. 2.892		

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्र.क्र.-4-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2)(3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11(3)(ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

:-अनुसूची:-

(1) भूमिकावर्णन

(क) जिला	:- नर्मदापुरम
(ख) तहसील	:- पिपरिया
(ग) ग्राम	:- जामुनढोंगा
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर	:- सींगानामा, 52
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 28.839 हे.

क्र०	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु रकवा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	57/15	1.214	नायब तहसीलदार मटकुली	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत
2	92	मे.से. 0.102		

3	21		1.032	तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी	आरक्षित वनघोषित करने हेतु
4	10		1.979		
5	80		0.324		
6	39		0.263		
7	4/4	मे.से.	0.050		
8	12	मे.से.	0.220		
9	57/4		1.133		
10	6	मे.से.	0.353		
11	35	मे.से.	0.112		
12	77	मे.से.	0.339		
13	84	मे.से.	0.598		
14	88	मे.से.	0.221		
15	52	मे.से.	0.175		
16	55	मे.से.	1.473		
17	59	मे.से.	0.919		
18	76	मे.से.	0.036		
19	20/7	मे.से.	0.437		
20	30	मे.से.	0.060		
21	53	मे.से.	0.150		
22	57/8	मे.से.	0.582		
23	63	मे.से.	2.539		
24	106	मे.से.	0.289		
25	110	मे.से.	4.462		
26	14	मे.से.	0.342		
27	25/4	मे.से.	0.020		
28	27	मे.से.	0.026		
29	32	मे.से.	0.093		
30	57/5	मे.से.	0.607		
31	81		0.061		
32	57/14		0.809		
33	57/12		0.729		
34	47		0.417		
35	20/9		1.214		
36	41		0.283		
37	67/3	मे.से.	0.101		
38	57/9/2	मे.से.	0.971		
39	28		0.057		
40	29		0.085		
41	57/13		0.405		
42	3		1.149		
43	34		0.134		
44	36		0.174		
45	64/1		2.100		

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्र.क्र.-5-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2)(3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11(3)(ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

:-अनुसूची:-

(1) भूमिकावर्णन

- (क) जिला :- नर्मदापुरम
 (ख) तहसील :- पिपरिया
 (ग) ग्राम :- कांजीघाट
 (घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर :- पगारा, 53
 (ङ) निजीभूमिकाअर्जितक्षेत्रफल :- 2.124हे.

क्र.	ख.न.	अर्जन हेतु रकबा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	8	0.049	नायब तहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वनघोषित करने हेतु
2	7/1. में.से.	0.054		
3	26/4. में.से.	0.202		
4	12 में.से.	0.075		
5	4/2. में.से.	0.081		
6	3/2. में.से.	0.286		
7	4/1. में.से.	0.258		
8	5 में.से.	0.215		
9	17/1.	0.121		
10	2/4.	0.405		
11	2/2.	0.049		
12	22/1.	0.045		
13	23	0.239		
14	9	0.045		

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्र.क्र.-6-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2)(3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11(3)(ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-:अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला	:- नर्मदापुरम
(ख) तहसील	:- पिपरिया
(ग) ग्राम	:- मोंगरा
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर	:- मोंगरा, 48
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 69.683 हे.

क्र.	ख.न.	अर्जन हेतु रकबा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	93/2	0.607	नायब तहसीलदार मटकली तहसील	भारतीय वन
2	46	0.166	पिपरिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी	अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
3	75	0.186		
4	76	0.154		
5	54	मे.से. 0.262		
6	71/3	मे.से. 0.486		
7	57	0.15		

8	80		0.069
9	97		1.315
10	41/4	मे.से.	0.011
11	43	मे.से.	0.065
12	44	मे.से.	0.035
13	51/2	मे.से.	0.202
14	52	मे.से.	0.200
15	51/1	मे.से.	1.006
16	66		0.101
17	5	मे.से.	0.778
18	71/4		0.401
19	36	मे.से.	0.063
20	94/2/1		2.776
21	16		0.825
22	33		1.801
23	56		0.154
24	74		0.162
25	21/2.		0.223
26	49		1.821
27	63,64		0.344
28	47	मे.से.	0.225
29	96	मे.से.	7.317
30	109/2,110,111, 112, 113, 114	मे.से.	8.024
31	6/6	मे.से.	0.121
32	9	मे.से.	0.631
33	34	मे.से.	0.850
34	69	मे.से.	0.105
35	6/2.		0.364
36	37		3.73
37	55		1.724
38	109/1/3		4.627
39	21/7.		0.162
40	23		2.031
41	25		2.497
42	31		0.279
43	38/2		0.809
44	40		1.453
45	41/2.		0.032
46	42		0.259
47	53		0.299
48	59		0.146
49	72/2, 72/3, 77/1, 77/2, 81/1		2.242
50	73		0.482
51	86		0.089
52	88		1.068
53	90		0.53
54	92		0.587
55	94/1.		0.672
56	6/4.		0.502
57	48		0.182
58	50, 102/3, 102/4		2.771
59	65		0.073
60	17/1, 18		5.066
61	20		1.267
62	22		4.104

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्र.क्र.-7-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेंगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2)(3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11(3)(ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-:अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला	: नर्मदापुरम
(ख) तहसील	: पिपरिया
(ग) ग्राम	: रोरीघाट
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर	: सीगानामा, 52
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	: 4.917 हे.

क्र.	ख.न.	अर्जन हेतु रकबा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	15/2.	में.से. 0.394	नायब तहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वनघोषित करने हेतु
2	37	में.से. 0.094		
3	34	में.से. 0.130		
4	35/1	में.से. 0.092		
5	16	में.से. 0.377		
6	30	में.से. 0.367		
7	31	में.से. 0.291		
8	45	में.से. 0.075		
9	29	में.से. 0.186		
10	43,44	में.से. 0.156		
11	49	में.से. 0.278		
12	3/5.	में.से. 0.317		
13	39	में.से. 0.218		
14	41/1	में.से. 0.112		
15	42	में.से. 0.06		
16	20	में.से. 0.016		
17	25	में.से. 0.154		
18	27	में.से. 0.123		
19	46	में.से. 0.607		
20	35/2,36	में.से. 0.619		
21	3/2.	में.से. 0.081		
22	24	में.से. 0.170		

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्र.क्र.-8-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2)(3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11(3)(ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-:अनुसूची:-

(1) भूमिकावर्णन

(क) जिला	:- नर्मदापुरम
(ख) तहसील	:- पिपरिया
(ग) ग्राम	:- विनौरा
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर	:- नांदिया, 54
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 11.575 हे.

क्र.	ख.न.	अर्जन हेतु रकबा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2	0.619	नायब तहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमदी	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वनघोषित करने हेतु
2	27	6.191		
3	4	मे.से. 0.111		
4	6	मे.से. 0.083		
5	5	मे.से. 0.088		
6	11	मे.से. 0.086		
7	8/1	0.182		
8	26/1	0.829		
9	8/2	मे.से. 0.050		
10	22/2	मे.से. 0.160		
11	26/2	मे.से. 0.207		
12	14	0.219		
13	15	मे.से. 0.069		
14	25	मे.से. 0.320		
15	29/5	मे.से. 0.263		
16	30	मे.से. 0.006		
17	18	मे.से. 0.101		
18	20	मे.से. 0.303		
19	29/9	1.011		
20	12	मे.से. 0.038		
21	22/1	0.639		

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्र.क्र.-9-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2)(3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11(3)(ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

:-अनुसूची:-

(1) भूमिकावर्णन

- (क) जिला :- नर्मदापुरम
 (ख) तहसील :- पिपरिया
 (ग) ग्राम :- काजरी
 (घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर :- पगारा, 53
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- 0.692 हे.

क्र.	ख.न.	अर्जन हेतु रकबा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1/5 मे से	0..243	नायब तहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वनघोषित करने हेतु
2	1/4 मे से	0.197		
3	1/2 मे से	0.096		
4	1/3 मे से	0.156		

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्र.क्र.-10-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2)(3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11(3)(ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

:-अनुसूची:-

(1) भूमिकावर्णन

(क) जिला	:-	नर्मदापुरम
(ख) तहसील	:-	पिपरिया
(ग) ग्राम	:-	बदकछार
(घ) पटवारीहल्काकानामएवंनंबर	:-	पगारा, 53
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	17.433हे.

क्र.	ख.न.	अर्जन हेतु रकबा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	43	0.696	नायब तहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वनघोषित करने हेतु
2	55/4	0.567		
3	21/1. में.से.	0.016		
4	50 में.से.	0.136		
5	55/3	0.223		
6	55/2/8	0.587		
7	55/2/7 में.से.	0.530		
8	55/26 में.से.	0.530		
9	55/2/2	0.874		
10	52	0.166		
11	18	0.194		
12	23	0.024		
13	55/9	0.101		
14	16, में.से. 17/1	0.094		
15	20 में.से.	0.080		
16	21/3. में.से.	0.040		
17	55/2/10	0.708		
18	55/2/4 में.से.	0.420		
19	21/2. में.से.	0.232		
20	24 में.से.	0.051		
21	30 में.से.	0.116		
22	34 में.से.	0.224		
23	37 में.से.	0.205		
24	47 में.से.	0.073		
25	54 में.से.	0.143		
26	55/11 में.से.	7.104		
27	55/8	1.295		
28	55/16	1.295		
29	4 में.से.	0.109		
30	9 में.से.	0.342		
31	14 में.से.	0.022		
32	26 में.से.	0.025		
33	28 में.से.	0.138		
34	29/1. में.से.	0.008		
35	31 में.से.	0.020		
36	35 में.से.	0.012		
37	40 में.से.	0.002		
38	45 में.से.	0.010		
39	46 में.से.	0.021		

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. •

कार्यालय, कलेक्टर, एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 11-अ-19(4)-2024-25-क्र.-18411-भू-अर्जन-वन.व्य.अ.-2024

नर्मदापुरम, दिनांक 16 दिसम्बर 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरान्त भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2)(3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11(3)(ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-:अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला:- नर्मदापुरम

(ख) तहसील:- बनखेड़ी

(ग) ग्राम:- बरगोदी,

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर:- बरगोदी-48

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल:- 90.112 है .

क्र.	ख.न.	अर्जन हेतु रकबा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	62/1	0.522	नायब तहसीलदार बनखेड़ी तहसील बनखेड़ी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पिपरिया बफर	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
2	84	0.117		
3	130	0.117		
4	91/2	1.659		
5	128/1	0.032		
6	138	0.170		
7	105	0.146		
8	135	0.376		
9	174/10	1.052		
10	108	0.077		
11	129	0.162		
12	72/2	0.910		

13	119	2.630
14	144	4.921
15	155	2.655
16	95	3.407
17	106	0.089
18	127	0.157
19	128/2	0.170
20	139	0.097
21	45	1.923
22	47	0.405
23	35	1.623
24	39	0.619
25	40	1.133
26	41	0.680
27	58	1.688
28	72/1	0.118
29	78	0.146
30	88	0.194
31	89	0.454
32	91/1	0.809
33	93	0.985
34	102	1.546
35	109	0.117
36	111	0.174
37	117	0.813
38	125	0.668
39	133	0.267
40	140	0.466
41	143/4	0.324
42	149	0.721
43	150	0.299
44	151	2.193
45	153	0.291
46	157	3.601
47	167	1.384
48	169	0.938
49	132	0.154
50	161	0.951
51	91/3	1.660

52	79	0.559
53	137	0.170
54	112	0.316
55	107	0.053
56	174/5	1.740
57	76/2	0.081
58	81	0.129
59	76/5	0.526
60	143/3	0.081
61	174/9	1.619
62	30	1.719
63	38	1.878
64	43	1.943
65	48	0.817
66	56	1.352
67	60	0.769
68	61	1.242
69	64	1.011
70	103	1.481
71	104	0.466
72	114	0.291
73	116	0.648
74	142	1.125
75	162	2.424
76	163	1.550
77	77	0.190
78	80	0.178
79	82	0.304
80	101	0.308
81	120	1.944
82	121	1.590
83	122	0.049
84	124/2	0.312
85	131	0.251
86	145	0.555
87	174/2	1.821
88	174/3	1.473
89	49	0.397
90	62/2	0.522
91	66	2.347
92	76/3	0.081
93	83	0.328
94	99	0.636
95	69	2.035
96	97	1.364
97	92	2.477
98	75	0.150

उपरोक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी विप्रिया में संघारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प.क्र.-2838-अ-82-भू-अर्जन-2024-25

सतना, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

ग्राम बरदाडीह, तहसील रघुराजनगर

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे. में
(1)	(2)	(3)
1	189/2/2	0.0017
2	189/1/2	0.0017
3	189/3/2	0.0017
4	196/2	0.0027
5	187	0.0051
6	177/1/1	0.0038
7	177/2/2	0.0038
8	177/3/2	0.0039
9	121/1/5/1	0.0041
10	121/1/2/1	0.0041
11	121/1/4/2	0.0019
12	121/1/3/2	0.0022
13	121/2	0.0019
14	122/9	0.0010
15	122/6/2	0.0020
16	122/1/1	0.0010
17	122/7/2	0.0010
18	122/8/2	0.0051
19	122/5/2	0.0048
20	174/2	0.0036
21	176/1/2	0.0036
22	176/3/1	0.0016
23	176/3/2	0.0016
24	176/2	0.0028
25	198/2/2	0.0041
26	198/1	0.0021
27	201/2/2	0.0037
28	195/2	0.0081
	कुल रकवा हे. में -	0.0847

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-1162-भू-अर्जन-2024

सीधी, दिनांक 28 नवम्बर 2024

चूँके राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	-	सरदा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	पटना
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 0.958 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	पूर्व में अर्जित रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	364/2	1.210	0.945	0.945	अजेन्द्र देशिक पिता राजेन्द्र प्रसाद
2	363	0.020	0.013	0.013	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट सीधी सीमेन्ट वर्क्स मझिगवां, जिला सीधी
कुल योग		0.270	0.272	0.958	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है

क्र.-121-भू-अर्जन-2025

सीधी, दिनांक 17 जनवरी 2025

चूँके राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	मडवा
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	मडवा
(ङ.)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.7450 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	900	0.0950	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु
2	901	0.1100		
3	902	0.0100		
4	904	0.0500		
5	903	0.1200		
6	951	0.3600		
कुल योग -		0.7450		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-123-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

- (1) भूमि का वर्णन :-
- (क) जिला :- सीधी
- (ख) तहसील :- गोपद बनास
- (ग) ग्राम :- मुगवारी
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :- मडवा
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- रकबा 0.4920 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	27	0.0800	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु
2	28	0.1000		
3	29	0.0600		
4	24/1	0.1440		
5	32/1	0.0060		
6	30	0.0040		
7	23/1/1	0.0600		
8	20/1/2/1	0.0180		
9	29/282	0.0200		
कुल योग -		0.4920		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-125-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	उपनी
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	उपनी
(ङ.)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.1260 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	190/1	0.0370	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु रोड क्रासिंग के लिए ओवर ब्रिज एवं अन्डर ब्रिज के पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) बनाने हेतु
2	144/1	0.0050		
3	143/1/1	0.0200		
4	153/1/2	0.0150		
5	153/1/1	0.0150		
6	180/2/1/1	0.0220		
7	101/1	0.0120		
कुल योग -		0.1260		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-127-भू-अर्जन-2025

चूँके राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :-

- (1) भूमि का वर्णन :-
- (क) जिला :- सीधी
- (ख) तहसील :- गोपद बनास
- (ग) ग्राम :- टेढवाटोला
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :- मडवा
- (ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- रकबा 0.1900 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	25/1	0.0800	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु
2	26/1/1	0.1000		
3	26/1/2			
4	26/2			
5	26/3			
6	99/2	0.0100		
कुल योग -		0.1900		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
(धारा 6 देखिए)**

क्र.-0012-अ-82-23-24-भू-अर्जन-25-182.-

सागर, दिनांक 6 जनवरी 2025

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार सागर शहर में गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समपार क्रमांक-32 पर आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु समुचित सरकार, मौजा नरवानी, पटवारी हल्का नंबर-86, तहसील सागर, जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 90/1/1/1, 90/1/1/2, 92/1, 92/3, 133/2, 79/1, 79/3, 80/2, 80/1, 85, 101/2, 92/2, 87/2, 87/3/2, 99, 100, 75, 11,12, 28/1, 28/3, 88 हे. में से कुल रकबा 1.160 भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही हैं :-

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण
2	लोक प्रयोजन	गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण परियोजना निर्माण से यातायात आवागमन में सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।
3	स्थल	ग्राम नरवानी पट.ह.नं.-86 तहसील सागर
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि 1.160 हे. अशासकीय/शासकीय भूमि
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर द्वारा किया जावेगा।

7	परियोजना निर्माण के चरण	परियोजना निर्माण प्रथम चरण								
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न हैं।								
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम नरवानी की 1.160 हे. भूमि								
10	भूमि का मूल्य	ग्राम नरवानी की वर्ष 2024-24 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी/शासकीय भूमि 1.160 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 1426000-00 रुपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 713000-00 रुपये मात्र है।								
11	प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)	12								
12	परिसंपत्तियां	लोक संपत्ति - खसरा नंबर 90/1/1/1 में 300x150 वर्ग फुट टोन सेट एवं खसरा नंबर 133/2 में 04 अक्षर एवं 21 अन्य वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।								
13	विरथापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-	विरथापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.जा.</th> <th>अ.ज.जा.</th> <th>अन्य</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग							
0	0	0	0							

		जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या - <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.जा.</th> <th>अ.ज.जा.</th> <th>अन्य</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग							
0	0	0	0							
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची	निरंक								
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? (ख) यदि नहीं - तो क्यों ?	गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण परियोजना निर्माण से यातायात आवागमन में सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। निरंक								
16	निष्कर्ष	लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण परियोजना निर्माण से यातायात आवागमन में सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। परियोजना निर्माण कार्य से भू-धारक भी सहमत है जिनमें से भू-धारक को उक्त निर्माण कराये जाने में आपत्ति है। अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का परियोजना निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है।								

प्ररूप-ग
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं है
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं है
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन	प्रभावित नहीं है
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं है
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं है
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	प्रभावित नहीं है
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं है
8	जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान	उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है।
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है

क्र.-001-अ-82-24-25-भू-अर्जन-20-25-295

सागर, दिनांक 8 जनवरी 2025

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	सागर जिले के बीना-आगासौद मार्ग के कि.मी. 3/2 में समपार क्रमांक 309(सी) (बीना-झांसी ट्रेक) एवं समपार क्रमांक-003/Spl. स्पेशल (बीना-गुना ट्रेक) (डबल लॉक गेट) पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्य'
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीना 2- राजस्व निरीक्षक, बीना 3- सरपंच ग्राम पंचायत, बरदौरा व.ख.बीना 4- सचिव ग्राम पंचायत बरदौरा वि.ख.बीना
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	बीना
(ग)	ग्राम/नगर	इटावा
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.38 हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	0.38 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	सागर जिले के बीना-आगासौद मार्ग के कि.मी. 3/2 में समपार क्रमांक 309(सी) (बीना-झांसी ट्रेक) एवं समपार क्रमांक-003/Spl. स्पेशल (बीना-गुना ट्रेक) (डबल लॉक गेट) पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्य'
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	0.38 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

संदीप जी.आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-23-भू-अर्जन-2025

नीमच, दिनांक 13 जनवरी 2025

चूंकि मध्य प्रदेश राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवंबर, 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग उज्जैन द्वारा नीमच जिले के मनासा-कंजार्डा-डीकेन मार्ग के उच्च स्तरीय पुल निर्माण में ग्राम-कंजार्डा, रावतपुरा में आने वाली निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता होने से आपसी सहमति से भूमि कय किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं जिसका वर्णन नीचे अंकित किया गया है,

अतएव म.प्र.आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिका 11(1) के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की जा रही है। उक्त कय नीति के अंतर्गत ली जा रही भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग उज्जैन के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का वर्णित भूमि में स्वत्व के विषय में कोई दावा आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत 15 दिवस के भीतर अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समय में मय दस्तावेजों के आपत्ति कलेक्टर कार्यालय नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड-मनासा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उस पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

::अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरणः

“नीमच जिले के (मनासा-कंजार्डा डिकेन) मार्ग के कि.मी. 11/4, कि.मी. 24/4 एवं कि.मी.

26/6 के नाले पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हेतु ”

ग्राम का नाम: रावतपुरा, कंजार्डा, तहसील मनासा जिला नीमच

स. क.	खातेदार का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित सर्वे नंबर भूमि	कुल रकबा	अधिग्रहित भूमि का रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	गंगाबाई बेवा हेमराज, जगदीश पिता हेमराज, राधाबाई पिता हेमराज, जाति कीर निवासी- रावतपुरा तहसील-मनासा	रावतपुरा	92	1.214	0.120	
2	पृथ्वीराज, सीताबाई पिता भूरा, जाति खाती, निवासी-ग्राम कंजार्डा, तहसील-मनासा	कंजार्डा	893	0.733	0.200	
3	अन्नुबाई पिता प्रभुलाल, अवंतीबाई बेवा प्रभुलाल, जाति मालवीय निवासी ग्राम-कंजार्डा, तहसील मनासा	कंजार्डा	394/1	0.202	0.035	
4	रामलाल पिता घासी, जाति मालवीय निवासी-कंजार्डा, तहसील मनासा	कंजार्डा	394/2	0.203	0.035	
कुल योग:-				2.352	0.390	

हिमांशु चन्द्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्रमांक/क्रमांक: 76/2025/PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लिखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - सिवनी

वनमंडल - दक्षिण सिवनी वनमंडल

तहसील - केवलारी

वन परिक्षेत्र - कान्हीवाडा

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण				क्षेत्रफल (हेक्टर)	वनखण्ड का सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.		
1	पीपरदान (कान्हीवाडा)	पीपरदान (कान्हीवाडा)	शासकीय भूमि (बड़े झाड़ का जंगल)	79/2/2(s)	9.87	उत्तर- आरक्षित वनखंड बाराउगली के मुनारा क्रमांक 34/1 से 33/1 तक वन सीमा। पूर्व- आरक्षित वनखंड बाराउगली के मुनारा क्रमांक 33/1 से 12/2 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- आरक्षित वनखंड बाराउगली के मुनारा क्रमांक 12/2 से 12/1 तक वन सीमा। पश्चिम- आरक्षित वनखंड बाराउगली के मुनारा क्रमांक 12/1 से 34/1 की कृत्रिम वन सीमा।
				योग:-	9.87	

1. अधिसूचना का प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./6 MPB039/2020-BHO दिनांक 02/03/2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार बजरवाडा लघु नहर सिंचाई परियोजना निर्माण में प्रभावित 4.945 हे. वनभूमि के एवज में सिवनी जिले के तहसील केवलारी के ग्राम पीपरदान की बड़े झाड़ का जंगल मद् की दूगना क्षेत्र प्राप्त कुल 9.87 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.87 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सिवनी जिला सिवनी के आदेश क्रमांक 01/अ-19/18-19 दिनांक 03.10.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - नहीं।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार केवलारी (पदनाम) के प्रतिवेदन क्र. 4 दिनांक 08/12/2021 द्वारा अभिलिखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्याक्तिगत अधिकार - नहीं

(ब) सामुदायिक अधिकार - नहीं

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र.76-2025-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 76-2025-PCCF, दिनांक 23 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 23rd January 2025

No./क्रमांक: 76/2025/PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the Said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Seoni

Tahsil - Keolari

Forest Division - South Seoni Forest Division

Forest Range - Kanhiwara

S. N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of proposed forest block	Name of village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	Pipardoun (Kanhiwara)	Pipardoun (Kanhiwara)	Govt. Land (Bade Jhad ka Jangal)	79/2/2(s)	9.87	North- Forest Boundary from Pillar No. 34/1 to Pillar No. 33/1 of Reserve Forest Block Bara-ugali. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 33/1 to Pillar No. 12/2 of Reserve Forest Block Bara-ugali. South-Forest Boundary from Pillar No. 12/2 to Pillar No. 12/1 of Reserve Forest Block Bara-ugali. West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12/1 to Pillar No. 34/1 Reserve Forest Block Bara-ugali.
				Total :-	9.87	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India's order No. 6-MPb049/2020-BHO dated 02@03@2022 in lieu of 9.87 hectare of affected forest land of Jhabua District under the sanctioned project of Bajarwara Laghu Nahar Irrigation Project Chourai Chhindwara the above District Seoni Tahsil Keolari Pipardoun mentioned Non Forest Land of 9.87 hec. transferred of mutated in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by Order No. 01/3/-19/18-19 dated 03.10.2018 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasarawise detail of recorder right on the above land as per report No. 04 dated 08/12/2021 of Tahasildar Keolari (Designation of Competent Revenue officer) are as under:-

(A) Rights of individuals - Nil

(B) Rights of Communities - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्रमांक/1/205526/2025 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपमेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - दमोह

तहसील - हटा

वनमण्डल - दमोह सामान्य

वन परिक्षेत्र - हटा

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मै.)	
1	करकोई अ	करकोई	म.प्र. शासन वन विभाग शासकीय भूमि मद -पहड़	2/2	20.72	उत्तर- आरक्षित वनखण्ड 14 करकोही के मुनारा क्रमांक 232 से 230/1 तक की वनसीमा। पूर्व - आरक्षित वनखण्ड 14 करकोही के मुनारा क्रमांक 230/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 10 तक एवं आरक्षित वनखण्ड 14 करकोही के मुनारा क्रमांक 232 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग-	20.72	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6-MPC028/2016-BHO/1209 दिनांक 30-12-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड सागर की स्वीकृत परियोजना राज्य राजमार्ग क्रमांक/48 हटा-फतेहपुर-रजपुरा-सिलापरी-दरगुंवा तक द्विरेखीय मार्ग निर्माण में प्रभावित दमोह वनमण्डल का 10.360 हेक्टेयर एवं छतरपुर वनमण्डल का 10.267 हेक्टेयर कुल 20.627 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 20.72 हेक्टेयर गैरवनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./34अ/19(2) वर्ष 2015-16 दिनांक 28-09-2016 एवं 27-01-2017 हस्तांतरित अथवा नामांतरित हेतु सहमति दिये जाने के कारण।

2. अन्य करणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र.1-205526-2025.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.1-205526-2025, दिनांक 23 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 23rd January 2025

No./205526/2025 :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District – Damoh

Tehsil – Hatta

Forest Division – Damoh

Forest Range – Hatta

NO.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Karkoi A	Karkoi	M.P.Govt. Forest department Govt. land measles item – mountain	2/2	20.72	<p>North– Forest Boundary from Pillar No. 232 to 230/1 of Reserved Forest block 14 Karkohi.</p> <p>East– Artificial Forest Boundary from Pillar No. 230/1 of Reserved Forest block 14 Karkohi to Pillar No. 3 of Proposed Protected Forest Block.</p> <p>South – Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to 4 of Proposed Protected Forest Block.</p> <p>West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 4 to 10 of Proposed Protected Forest Block and Pillar No. 232 of Reserved Forest block 14 Karkohi.</p>
				Total-	20.72	

(A) Reason for publication of Notification :-

According to the condition imposed in the order number **6-MPC028/2016-BHO/1209** dated 30-12-2016, Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Government of India, New Delhi 10.360 hectares of Damoh forest Division and 10.267 hectares of Chhatarpur forest Division, total 20.627 hectares of forest land affected in the approved project Staste Highway- 48 Hatta-Fatehpur-Rajpura-Silapari-Darguwan Road of Executive Engineer MPRD Nigam Sagar. For the purpose of compensatory a forestation of **20.72 hectares** of non-forest land received in lieu, order of Collector Damoh No./R.P.Cr./34A/19(2) year 2015-16 dated 28-09-2016 and 27-01-2017 transferred in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department Or because of giving consent for nomination.

1. Details of other Resaons - Nill

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under:-

- 1. Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
- 2. Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्रमांक/क्रमांक: 75/2025/PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, (1927 क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला- छिन्दवाड़ा

तहसील- तामिया

वनमंडल- पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

वनपरिक्षेत्र- तामिया

क्रमांक	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे० में	
1	लहगडुआ (बी)	लहगडुआ	शासकीय वन विभाग मध्यप्रदेश शासन	71/1/1/1(S)	3.082	उत्तर - संरक्षित वनखंड लहगडुआ सीए के मुनारा क्रमांक 12 से मुनारा क्रमांक 11 तक वन सीमा से होते हुए प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा

				योग	3.082	क्रमांक 4 से संरक्षित वनखंड लहगडुआ सीए के मुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखंड लहगडुआ सीए के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 12 तक की वन सीमा।
--	--	--	--	-----	-------	--

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

१. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक मंत्रालय 6-MPB 097/2021-BHO दिनांक 04.09.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग छिन्दवाड़ा की स्वीकृत परियोजना तन्सरा से नोनी छपर मार्ग के निर्माण हेतु शर्त क्रमांक A(3) के पालन में प्रभावित 3.082 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.082 हेक्टेयर राजस्व भूमि (मद पहाड़-चट्टान) को क्षतिपूर्ति यनीकरण के उद्देश्य से वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक क्रमशः राजस्व प्रकरण क्रमांक 003/अ/19(4)/2020-21 दिनांक 16.06.2021 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

२. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

१. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

२. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा - 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र.75-2025-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.75-2025-PCCF, दिनांक 23 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 23rd January 2025

No./क्रमांक: 75/2025/PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927,(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District:-Chhindwara

Tahsil :- Tamia

Forest Division:-West division chhindwara

Forest Range:- Tamia

S.N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Lehgadua (B)	Lehgadua	Government Forest Department Madhya Pradesh Government	71/1/1(S)	3.082	North- Forest boundary from Piller No 12 to Piller No. 11 of Protected forest block lehgadua CA through to Artificial Forest Boundary pillar no 1 of proposed Protected forest block. East- Artificial forest boundary from Piller No 1 to Piller No 3 of proposed Protected forest block. South- Artificial forest boundary from Piller No 3 to Piller No 4 of proposed Protected forest block. West- Artificial forest boundary from Piller No 4 of proposed Protected forest block to Piller No 14 of Protected forest block of lehgadua CA and forest Boundary from Piller No. 14 to Piller No. 12 of Protected forest block of lehgadua CA.
				Total	3.082	

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with condition No A(3) laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Regional Office Bhopal order No **6-MPB 097/2021-BHO** dated 04.09.2024 and in lieu of 3.082 hectare of affected forest land under the sanctioned project of tansara to nonichapar Road of Executive Engineer PWD Chhindwara the above mentioned Revenue Land of 3.082 hectare transferred or muted in favour of DFO West Chhindwara Division Forest Department by respectively order No 003/A-19(4)/2020-21 dated 16.06.2021 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Parasia District Chhindwara are as under :-

1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights:- There are no Community rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of India Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्रमांक/1/205520/2025 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अर्द्ध 4 के प्रावधान/उपबन्धों के नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/सुपरीमित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - गुना

तहसील - बमोरी

वनमंडल - गुना

वन परिषद का नाम - बमोरी

अ.क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मालिक	खसरा क्र.	(क्षेत्रफल) हेक्टेयर	
1	काबर बमोरी	काबर बमोरी	शासकीय मध्यप्रदेश शासन	25 (भाग)	27.360	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड काबर बमोरी के मुनारा क्र. 18 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड काबर बमोरी के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 7 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड काबर बमोरी के मुनारा क्र. 7 से नवीन स्थापित मुनारा क्र. 10 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड काबर बमोरी के मुनारा क्र. 10 से नवीन मुनारा क्र 18 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	27.360	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:

- (क) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक (1) 6-एमपीसी 032/2011-बीएचओ/584 दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यन्त्री लोकनिर्माण विभाग गुना म.प्र.(आयेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना अनारद से निहलदेवी मार्ग (परियोजना का नाम) में प्रभावित 27.360 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 27.360 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक/20/अ-19/2011-2012 दिनांक 29-09-2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - NIL

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गुना (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक NIL दिनांक 21.06.2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक
- सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र.1-205520-2025.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.1-205520-2025, दिनांक 23 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 23rd January 2025

No.1/205520/2025 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Guna

Tahsil : - Bamori

Forest Division: - Guna

Forest Range : - Bamori

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included			Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No. Area (Hectare)		
1.	Kabar bamori	Kabar Bamori	government land of MP Govt.	25 (Part)	27.360	North- Newly established Munara NO. 18 to 20 & up to munara no.1 in the proposed Protected Forest Block. Kabar bamori Artificial forest line. East- Newly established Munara NO. 1 to Munara 7 in the proposed Protected Forest Block. Kabar bamori Artificial forest line. South- in the proposed Protected Forest Block. Kabar bamori Newly established Munara No. 7 to Munara No.10 Artificial forest line. West- From Newly established Munara NO. 10 up to Munara No 18 in the proposed Protected Forest Block. Kabar bamori Artificial forest line.
				Total	27.360	

(A) Reason for publication of Notification

- (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest, and climate change , government of India, new delhi order No 6-MPC 032/2011-BHO/584 dated 05.04.2013 in lieu of 27.360 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Anarad to Nihaldevi road (Name of Project) of Executive Engineer Public Work Department Dist. Guna (Name of User Department/Agency/Person), the above mentioned Non Forest Land of 27-360 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Collector Guna order No 20/A-19/2011-2012 guna Date 29.09.2012 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- NIL

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated 21.06.2019 of Tehsildar Guna (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

- Individual Rights - NIL
- Community Rights - NIL

There fore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.